

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग
(कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य प्रभाग)

फोन: 0651-2400981, फैक्स:0651-2400982, ई-मेल: govjharkhandtourism@gmail.com

प्रेषक:

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
लोहरदगा।

राँची, दिनांक 14.02.2022

विषय:-

लोहरदगा जिलान्तर्गत कुडू प्रखण्ड अंतर्गत पंचायत टाटी, ग्राम-टाटी में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु रू० 66,47,500/- (छियासठ लाख सैतालीस हजार पाँच सौ) मात्र निधि का आवंटन।

- प्रसंग - (1) विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-37/रा०, दिनांक-03.11.2021 एवं 54/रा०, दिनांक- 01.02.2022 एवं आवंटनादेश सं०- 46/आ०, दिनांक-16.11.2021
- (2) उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-01/खेल. लो०, दिनांक 03.01.2022 एवं 30/खेल,लो०, दिनांक-10.02.2022

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आदेश पत्रों तथा उपायुक्त, लोहरदगा के अधियाचना पत्र के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के योजना बजट मुख्य शीर्ष 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- उप मुख्य शीर्ष-03-खेलकूद तथा युवा सेवा- लघु शीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजन- उपशीर्ष -22- राज्य, जिला एवं अनुमण्डल स्तरीय स्टेडियम/एस्ट्रोर्ट/स्वामी विवेकानन्द स्मारक/एन.सी.सी. भवन एवं खेल संरचना निर्माण एवं उन्नयन- विस्तृत शीर्ष-05- निर्माण- प्राथमिक इकाई- 45- निर्माण कार्य इकाई मद में उपबंधित राशि से रू० 66,47,500/- (छियासठ लाख सैतालीस हजार पाँच सौ) मात्र निधि आवंटित की जाती है। (विपत्र कोड: 52S42020379622000545)

| क्र. | आवंटित किये जाने वाले पदा० का पदनाम | योजना का नाम | स्वीकृति राशि | एकरारनामा राशि | पूर्व में आवंटित राशि | एकरारनामा अनुसार आवंटित राशि (राशि रू० में) |
|------|-------------------------------------|--|---------------|----------------|-----------------------|---|
| 1 | उपायुक्त, लोहरदगा | कुडू प्रखण्ड अंतर्गत पंचायत टाटी, ग्राम-टाटी में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण | 96,47,500/- | 96,47,500/- | 30,00,000/- | 66,47,500/- |
| | | कुल | 96,47,500/- | 96,47,500/- | 30,00,000/- | 66,47,500/- |

(छियासठ लाख सैतालीस हजार पाँच सौ) रूपये मात्र।

2. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, लोहरदगा होंगे जो इस योजना का कार्यान्वयन कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र (व्यय विवरणी सहित) अधोहस्ताक्षरी को ससमय उपलब्ध करायेंगे।
3. योजना का कार्यान्वयन ससमय पूर्ण कराया जायेगा ताकि पुनरीक्षण की आवश्यकता न पड़े।
4. योजना का कार्यान्वयन के क्रम में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. राशि की निकासी जिला कोषागार, लोहरदगा से की जायगी।

ज्ञापांक :- 87/आ.

प्रतिलिपि:- निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची/मा० विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आ०वि०स०/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, लोहरदगा/महालेखाकार, झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

राँची, दिनांक: 14.02.2022

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव